

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

शुद्धि पत्र

गृह (आरक्षी) विभाग, पटना के स्वीकृत्यादेश सं०-6/योजना-01-09/2012गृ०आ० 2949, दिनांक-30.04.2015 की कंडिका-4 में अंकित "राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (निरीक्षण)" के स्थान पर "राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना" पढ़ा जाय।

2. उक्त स्वीकृत्यादेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय।
3. उक्त स्वीकृत्यादेश में अंकित अन्य बातें एवं शर्तें यथावत रहेगी।

ह०/-
(आमिर सुबहानी)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप सं०-6/योजना-01-09/2012गृ०आ०.....4221...../पटना, दिनांक 19 जून, 2015

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक०), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार पटना/पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, बिहार, पटना/अपर पुलिस महानिदेशक, (आधुनिकीकरण), बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन/आई०टी० प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

mw
18.6.15
सरकार के प्रधान सचिव